

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(31)राज/वाद/14पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 7-7-17

:: आदेश ::

श्री राज किशोर घोडारोक (गूर्जर), लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक टोंक की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से

sd

(आशुतोष कुमार मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।
7. जिला कलक्टर, टोंक।
8. कोषाधिकारी, टोंक।
9. श्री राज किशोर घोडारोक (गूर्जर), लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, टोंक।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।



(आशुतोष कुमार मिश्रा)
शासन सचिव, विधि